

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर (राज.) ।

कम्प्यूटर शाखा

क्र.सं.		धारा 4(1)(ख) के तहत 17 श्रेणियों का विवरण
1.	संगठन का विवरण अनुभाग ।	राजस्थान पुलिस अकादमी कम्प्यूटर शाखा
2.	अधिकारियों / कर्मचारियों के कर्तव्य एवं शक्तियाँ ।	(क) सहायक निदेशक(इन्डोर) – कम्प्यूटर शाखा के समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व । (ख) प्रोग्रामर समस्त कम्प्यूटर संबंधित प्रदत्त कार्यों का सम्पादन । (ग) अन्य स्टाफ सदस्य(22) प्रदत्त कार्यों का सम्पादन ।
3.	निर्णय बनाने के लिए प्रक्रिया ।	सहायक निदेशक(इन्डोर) के एवं समुचित माध्यम द्वारा प्रस्ताव प्रेषित कर निदेशक महोदय के अनुसार निर्णय किये जाते हैं ।
4.	कार्यों के निर्वहन के लिए मानदण्ड ।	कम्प्यूटर कार्यों के निर्वहन के मानदण्डों को नियमानुसार ध्यान में रखते हुए तथा दायित्वों के सम्बन्ध में जारी मानक कार्य प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) के अनुसार विविध कार्यों का सम्पादन ।
5.	कार्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनियम ।	RSR, RPR, GF&AR - Other Circular Issued by PHQ ➤ प्रशिक्षण निदेशालय एवं निदेशक आर.पी.ए. द्वारा जारी नियम, विनियम, परिपत्रों के अनुसार कार्यों का सम्पादन । ➤ कार्य निर्धारण हेतु कम्प्यूटर शाखा द्वारा जारी प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) के तहत कार्य निष्पादन पालन करवाना । ➤ समय समय पर जारी अन्य विनियम ।
6.	श्रेणियों का विवरण ।	<ul style="list-style-type: none"> ● कम्प्यूटर उपकरणों के रख-रखाव का रजिस्टर ● शाखा की एस.ओ.पी. पत्रावली संधारण ● कम्प्यूटर उपकरणों के स्पेशिपिकेशन संधारण
7.	बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण ।	लागू नहीं ।
8.	परामर्शदात्री समितियां अन्य निकायों का विवरण ।	लागू नहीं ।
9.	अधिकारियों / कर्मचारियों की निर्देशिका ।	सहायक निदेशक (इन्डोर), फोन नं० 0141-2302131 पी.बी.एक्स. नं० -505.
10.	अधिकारियों / कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक ।	लेखा शाखा ।
11.	बजट प्रत्येक एजेन्सी को आवंटित ।	लेखा शाखा ।

12.	सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन।	लागू नहीं।
13.	रियायते, परमिट पाने वाले का ब्यौरा।	लागू नहीं।
14.	एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध सूचना।	राजस्थान पुलिस अकादमी की वेबसाईट पर उपलब्ध।
15.	नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएं।	सहायक निदेशक(प्रशासन) को दिये गये आवेदन एवं उनके निर्देशानुसार।
16.	लोक सूचना अधिकारियों के नाम एवं पदनाम विशिष्टताएं।	सहायक निदेशक (प्रशासन) लोक सूचना अधिकारी एवं निदेशक आरपीए प्रथम अपील अधिकारी
17.	ऐसी अन्य सूचनाएं।	विभाग द्वारा समय-समय सम्बन्धित सूचना को प्रकाशित किया जाता है।